

इंश्योरेंस का विवरण (ऐच्छिक)

कृपया नोट करें कि बीमा प्रीमियम की राशि, मंजूर की गई ऋण की राशि, उम्र आदि पर निर्भर करती है और इसलिए बीमा के प्रयोजन हेतु लोन की जानकारी आपको एक अलग मंजूरी पत्र के द्वारा दे दी जाएगी।

जीवन बीमा (लोन कवर प्रोटेक्शन प्लान)

इच्छुक हूं इच्छुक नहीं हूं

प्रॉपर्टी इंश्योरेंस (संपत्ति का बीमा)

इच्छुक हूं इच्छुक नहीं हूं

अगर इच्छुक हैं तो क्या आप प्रीमियम एवं अन्य चार्जज को कोटक महिंद्रा बैंक लि. द्वारा फंड कराना चाहेंगे

हां नहीं

संदर्भ (आपसे संबंधित नहीं)

नाम:

फ़ोन: मोबाइल

नाम:

फ़ोन: मोबाइल

बैंक के डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों को लोन्स तथा एड्वान्सेस प्रदान करने के बारे में आरबीआई के सरकुलर संदर्भ DBOD No. Dir BC.4/13.03.00/2012-13, क्लॉज 2.2.1 तथा अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को लोन्स तथा एड्वान्सेस प्रदान करने पर प्रतिबंधों पर क्लॉज 2.2.2 के अनुपालन में.

व्यक्तिगत/संपूर्ण-प्रापरायटर आवेदकों के लिए

अ) क्या कोई आवेदक कथित सरकुलर में परिभाषित अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी (कोटक महिंद्रा बैंक लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों सहित) का डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिश्तेदार है हां नहीं

ब) क्या कोई आवेदक कथित सरकुलर में परिभाषित अनुसार, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार है हां नहीं

गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए

अ) क्या फर्म/कंपनी का कोई पार्टनर/डायरेक्टर कथित सरकुलर में परिभाषित अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी (कोटक महिंद्रा बैंक लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों सहित) का डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिश्तेदार है हां नहीं

ब) क्या फर्म/कंपनी का कोई पार्टनर/डायरेक्टर कथित सरकुलर में परिभाषित अनुसार, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार है हां नहीं

क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम- लागू कैटेगिरी को चुनें

<input checked="" type="checkbox"/>	सीएलएसएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/ (निम्न आय वर्ग) ₹6 लाख तक की लोन राशि के लिए 20 वर्ष की अवधि हेतु 6.5% की ब्याज सब्सिडी	<input checked="" type="checkbox"/>	सीएलएसएस (मध्य आय वर्ग I) ₹9 लाख तक की लोन राशि के लिए 20 वर्ष की अवधि हेतु 4% की ब्याज सब्सिडी	<input checked="" type="checkbox"/>	सीएलएसएस (मध्य आय वर्ग II) ₹12 लाख तक की लोन राशि के लिए 20 वर्ष की अवधि हेतु 3% की ब्याज सब्सिडी
<input type="checkbox"/>	घरेलू वार्षिक आमदनी ₹6 लाख से कम है	<input type="checkbox"/>	घरेलू वार्षिक आमदनी ₹6 लाख से ₹12 लाख के बीच है	<input type="checkbox"/>	घरेलू वार्षिक आमदनी ₹12 लाख से ₹18 लाख के बीच है
<input type="checkbox"/>	परिवार के किसी भी सदस्य का भारत के किसी भी हिस्से में अपना पक्का मकान नहीं है.	<input type="checkbox"/>	परिवार के किसी भी सदस्य का भारत के किसी भी हिस्से में अपना पक्का मकान नहीं है.	<input type="checkbox"/>	परिवार के किसी भी सदस्य का भारत के किसी भी हिस्से में अपना पक्का मकान नहीं है.
<input type="checkbox"/>	मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या परिवार के पुरुष तथा स्त्री सदस्य के संयुक्त नाम पर है	<input type="checkbox"/>	प्रॉपर्टी का कार्पेट एरिया 160 वर्ग मीटर के अंदर है	<input type="checkbox"/>	प्रॉपर्टी का कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर के अंदर है

नोट:

- परिवार की परिभाषा: एक लाभार्थी परिवार जिसमें पति, पत्नी तथा अविवाहित बच्चे हों.
- प्रॉपर्टी जनगणना 2011 के अनुसार 4041 वैधानिक शहरों में स्थित हो
- जनगणना 2011 के अनुसार 4041 वैधानिक शहरों की सूची www.nhb.org.in पर उपलब्ध है
- दावे की पात्रता तय करने तथा वितरण करने की अंतिम अर्थोपेक्सी एनएचबी है.
- सीएलएसएस दावे के लिए एनएचबी द्वारा दी गई गाइडलाइन्स का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए. अगर किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि कस्टमर द्वारा दी गई जानकारी गलत/असत्य है, तो स्कीम्स के अंतर्गत दिए गए सभी फ़ायदों को वापस ले लिया जाएगा तथा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके आवेदक द्वारा घोषित किया जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की सीएलएसएस गाइडलाइन्स को समझ लिया है और वे इसका पूरी तरह पालन करेंगे. अगर सीएलएसएस गाइडलाइन्स की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो सब्सिडी को वापस ले लिया जाएगा तथा एनएचबी को पैसा लौटा दिया जाएगा. गाइडलाइन्स तथा अन्य सभी शर्तें @<https://nhb.org.in/> पर उपलब्ध हैं

मैंने सीएलएसएस के लिए उपरोक्त पात्रता शर्तों को समझ लिया है और मैं इसे पाना चाहता हूँ :

इंडब्ल्यूएस मध्यम आय वर्ग I मध्यम आय वर्ग II

कागजातों की सांकेतिक सूची

आपके लोन/प्रसुविधा के आवेदन को प्रोसेस करने के लिए हमें नीचे दी गई सूची से आपके बिजनेस से संबंधित कागजातों की आवश्यकता होगी.

- सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य केवाईसी* कागजात.
 - पहचान का प्रमाण-मतदाता का आईडी कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/प्रॉपराइटर/पार्टनर/डाइरेक्टर (अगर कंपनी हो) के वर्तमान बैंकर से हस्ताक्षर का सत्यापन, आदि.
 - निवास स्थान का प्रमाण - हाल ही का टेलीफोन बिल/बिजली का बिल/प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद/पासपोर्ट/ प्रॉपराइटर/पार्टनर/डाइरेक्टर (अगर कंपनी हो) का मतदाता आईडी कार्ड, आदि.
- मालिकाना हक का प्रमाण तथा टेलीफोन के बिल
- प्राप्त सभी लोन्स और प्रसुविधाओं के मंजूरी पत्र/चुकाने के सबूत.
- अगर प्रॉपर्टी को कोलेटरल के रूप में पेश किया जा रहा है तो टाइटल के कागजात.
- अनिवार्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन/योग्यता आदि से संबंधित इंडस्ट्री/सेक्टर अनुसार कागजात.
- अपेक्षित कोई अन्य कागजात.
- आमदनी के कागजात:-

वैतनभोगी कस्टमर्स	वैतनभोगी से भिन्न कस्टमर्स
<ul style="list-style-type: none"> पिछले 3 महीनों के सेलरी स्लिप्स-फॉर्म 16. 6 महीनों के बैंक स्टेटमेन्ट्स 	<ul style="list-style-type: none"> पार्टनरशिप फर्म के लिए- नवीनतम पार्टनरशिप डीड, फर्म का पीएन तथा ऑफिस के पते का प्रमाण. कंपनी के लिए -एमओए तथा एओए, पीएन, नवीनतम शेयरहोल्डिंग पैटर्न तथा ऑफिस के पते का प्रमाण. पिछले 2 या 3 वर्षों (जो भी लागू हो) के आई.टी. रिटर्न्स, जिसके साथ बिजनेस और व्यक्तियों अर्थात पार्टनर्स/डायरेक्टर्स दोनों की आमदनी की गणना का उल्लेख हो. पिछले 2 या 3 वर्षों(जो भी लागू हो) के लेखापरीक्षित फ़ायनांशियल स्टेटमेन्ट्स-सभी शिड्यूल और एनेक्सचर तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ. डायरेक्टर्स की रिपोर्ट तथा एजीएम के नोटिस भी अपेक्षित हैं. पार्टनर्स/डायरेक्टर्स की कुल सम्पदा के स्टेटमेन्ट्स. 12 महीनों के बैंक स्टेटमेन्ट्स

*आरबीआई के निदेश के अनुसार, कस्टमर को लाभार्थी मालिक (बीओ) अर्थात स्वाभाविक व्यक्ति, जो कि अपने आप या मिलकर या एक अथवा अनेक व्यक्तियों के ज़रिए स्वामित्व को नियंत्रित कर रहा है या जिसके पास स्वामित्व नियंत्रण का हित है, के केवाईसी कागजात जमा कराने पड़ेंगे. (अधिक जानकारी के लिए कृपया आरबीआई सरकुलर DBOD. AML.B.C. No. 71/14.01.001/2012-13 दिनांक 18 जनवरी, 2013 देखें.)

- अगर आवेदक एक रजिस्टर्ड इकाई तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज पर अनलिस्टेड कंपनी है,जहां बीओ/बीओज़ के पास उस कंपनी में 25% से अधिक शेयर्स या पूंजी या मुनाफा है, तो ऐसे सभी बीओ/बीओज़ को केवाईसी कागजातों को बीओ फॉर्म के साथ जमा कराना है.
- जब आवेदक एक पार्टनरशिप/एलएलपी फर्म है जहां बीओ/बीओज़ के पास फर्म में 15% से अधिक पूंजी है या वह मुनाफे का धारक है, तो ऐसे सभी बीओ/बीओज़ के बीओ फॉर्म के साथ केवाईसी कागजातों को जमा कराना होगा.
- जहां आवेदक एसोशिएशन्स ऑफ़ पर्सन्स (एओपी) या बॉडी ऑफ़ इंडिविजुअल/ल्स है जहां किसी व्यक्ति के पास एसोशिएशन/बीओआई में प्रॉपर्टी या पूंजी या मुनाफे का 15% से अधिक है तो ऐसे सभी बीओ/बीओज़ को बीओ फॉर्म के साथ केवाईसी कागजात भरने पड़ेंगे.

कस्टमर सर्विस/इंफोलाइन/एसोशिएट्स

हमें यहां विजिट करें www.kotak.com

हमें यहां कॉल करें: 1860 266 2666 (लोकल कॉल दरें लागू होंगी) (सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक, छुट्टियों के दिनों को छोड़कर)

सभी पत्राचार " कोटक कंज्यूमर एसेट " को यहां संबोधित किए जाने चाहिए :
 कोटक महिंद्रा बैंक लि.,
 चौथी मंजिल,जोन ख, बिल्डिंग नं.21, इंफिनिटी पार्क,
 ऑफ़ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, जन ए.के.वैद्य मार्ग,
 मालाड (पूर्व), मुंबई - 400097, भारत.
 रजि. ऑफ़िस: 27 बीकेसी, C27, G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051.


पावती की पर्ची

दिनांक: दि दि म म व व व व

आवेदन संख्या: _____

_____ से ₹ _____ की लोन/प्रसुविधा का आवेदन

प्राप्त हुआ. हमें ₹ _____ का चेक/ड्राफ्ट नं. _____ जो कि

पर आहरित है, को देय आवेदन फीस के लिए प्राप्त हुए. आपके आवेदन के बारे में अगर कोई पूछताछ हो, तो कृपया _____

अपने सेल्स एग्जिक्यूटिव/रिलेशनशिप मैनेजर से _____ पर संपर्क करें. _____

कोटक महिंद्रा बैंक लि. या इनके बाहरी सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित किन्हीं पूछताछों/मुद्दों के लिए, आप कृपया हमसे फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी पर संपर्क करें, जो कि इस शीट के पीछे की तरफ दिए गए हैं.



उत्पत्ति	फीस/चार्ज का विवरण	कितने देय है	फीस और चार्ज का स्तर ₹
	दंडात्मक चार्ज		
	इंस्ट्रुमेंट (चेक/ईसीएस/मैट्रे) डिसऑनर चार्ज	इंस्ट्रुमेंट डिसऑनर	₹750/- प्रति प्रकरण
	मूलधन या ब्याज/बकाया बैलेन्स के भुगतान में विलम्ब/पूक	विलम्ब से भुगतान	ओवरड्यू राशि पर 8% वार्षिक तथा लागू टैक्स
	लोन/प्रसुविधा एप्रिमेन्ट के अंतर्गत देय ड्यू/चार्ज/फीस का भुगतान न करना.	विलम्ब से भुगतान	ओवरड्यू राशि पर 8% वार्षिक तथा लागू टैक्स
	अन्य चार्ज		
	मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न करने पर पेनल चार्ज की लेवी, जिसमें शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है ट्राइटल के कमरातों को जमा न करना, घोषणा के अनुसार कंस्ट्रक्शन का आरंभ न होना, चुकाने का प्रतिकूल व्यवहार, एप्रिमेन्ट की शर्तों का अन्य उल्लंघन	प्रकरण	₹5.50 प्रति दिन प्रति लाख + लागू टैक्स या अनुपतिक आधारभूत एक्सपोजर को देय हो जाएगी (उल्लंघन के दिन से)
	सिक्पोरिटी/गारंटी या प्रसुविधा में विलम्ब या रचना न होना/अधूरा होना,आदि बैंक के पक्ष में डॉक्यूमेंटेशन.	प्रकरण	मंजूरी पर/प्रसुविधा एप्रिमेन्ट में विनिर्धारित दिनों के बाद मूल देय तिथि ("ओडीडी") से 180 दिनों तक के किसी विलम्ब के लिए ₹5.50 प्रति दिन प्रति लाख + लागू टैक्स या अनुपतिक के ₹ पेनल चार्ज 180 दिनों के बाद, पेनल चार्ज होने ₹11 प्रति दिन प्रति लाख + लागू टैक्स. (कथित पेनल चार्ज को दोनो फंड के नॉन-रिवायिंग लाइन्स और नॉन-रिवायिंग लाइन्स के बकाया की सीमाओं के योगफल तथा सिक्पोरिटी को जितना बढ़ाया गया हो, उसकी नॉन-फंड आधारित सीमाओं पर गणना की जाएगी) सिक्पोरिटी की रचना न करने का अर्थ है उधारकर्ता/सिक्पोरिटी प्रोवाइडर द्वारा मंजूरी पर/प्रसुविधा के पत्रों या प्रसुविधा/लोन एप्रिमेन्ट्स या बैंक से लिए गए लोन/आर्थिक प्रसुविधा को सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य कागजात/इंस्ट्रुमेंट में स्वीकृत शर्तों के अनुसार सिक्पोरिटी की रचना करने में विफल रहना.
	लौगल चार्ज	प्रकरण	यथा अनुपतिक/यथा वास्तविक
	लोन को रद्द करना: कस्टमर द्वारा लोन के वितरण के बाद वितरण चेक का नकदीकरण किए बिना लोन को रद्द करने का विकल्प अपनाने पर लागू चार्ज. (नकदीकरण करार जाने पर इसे पूर्व समाप्ति/समय पूर्व समापन माना जाएगा)	प्रकरण	लोन की राशि का 0.10% या ₹25,000 जो भी अधिक हो (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशियां) यह देय पीएफ के अलावा व अतिरिक्त होगा.
ओडी (ओवरड्राफ्ट) प्रसुविधा पर लागू चार्ज			
	वार्षिक नदीकरण चार्ज	नदीकरण	ओडी सीमा (वार्षिक ड्राप को घटाने के बाद ड्राप की गई सीमा) का 0.25% (+टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशियां) को नदीकरण की देय तिथि को लिया जाएगा. स्मार्ट होम ओडी प्रोडक्ट के लिए लागू नहीं.
वितरण के बाद	इस्तेमाल न करने के चार्ज	प्रकरण	अगर एक तिमाही में प्रसुविधा की सीमाओं का औसत इस्तेमाल स्वीकृत सीमाओं के 25% से कम है, तो आधारभूत एक्सपोजर पर (उल्लंघन के दिन से) 0.4% वार्षिक कम-इस्तेमाल सीमा पर + लागू टैक्स या अनुपतिक देय तथा भुगतान योग्य होगा
	ओवरसाइज अकाउंट्स या जहां उधारकर्ता ने अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक राशि निकाली हो, के मामले में पेनल चार्ज	अधिक निकासी	ओवरड्यू राशि पर 8% वार्षिक + लागू टैक्स

- नोट्स:**
- एक राश्य से दूसरे राश्य में लोन एप्रिमेन्ट, ओवरड्राफ्ट एप्रिमेन्ट, गारंटर एप्रिमेन्ट, रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि में भिन्नता है. आरबीआई की स्टैमिंग/नोटदाखेखन तथा अन्य पफिडेविट्स यथा लागू.
 - कस्टमर द्वारा इन सेवाओं के लिए आवेदन करने पर लागू चार्ज का उल्लेख किया जाएगा और उनका केवल उधारकर्ता को भुगतान करना पड़ेगा जैसे कि मंजूरी का पुन:मान्यीकरण, प्रॉपर्टी में बदलाव, लोन का पुन:अनुपसीकरण, ईएसआई की तिथि में परिवर्तन, सॉल्वेन्सी चार्ज आदि.
 - उधारकर्ता से टैक्स/अन्य वैधानिक लेवीज़ चार्ज किए जा सकते हैं अगर वे सरकार/आरबीआई के निर्देशों के अनुसार लागू हों.

विवरण	हां	नहीं
क्या आप तीसरी या उससे आगे की प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं?		
अगर हां, तो इस प्रॉपर्टी को खरीदने या निर्माण करने का कारण		
- अपने रहने के लिए		
- किराए पर देने के लिए		
- खाली रखने के लिए		
अगर किराए पर देना है, तो लोन चुकाने का प्राथमिक स्रोत क्या किराए की आमदनी होगी?		

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन फॉर्म में दिए गए सभी विवरण तथा जानकारी सत्य, सही और संपूर्ण है तथा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड(जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है) द्वारा मुझे/हमें प्रदान किए जा सकने वाले किसी लोन के आधार की रचना करेंगे. मेरे/हमारे खिलाफ कोई इंसॉल्वेन्सी कार्यवाही नहीं हुई है तथा ना ही मुझे/हमें कभी इंसॉल्वेन्ट घोषित किया गया है और पुनः पुष्टि की जाती है कि मैंने/हमने ब्रोशर को पढ़ तथा इसकी विषयवस्तु को पढ़ व समझ लिया गया है. मुझे/हमें जानकारी है कि मासिक किस्त में मूलधन तथा ब्याज का समावेश होगा और इसकी गणना मासिक आधार पर की जाएगी. मुझे/हमें ज्ञात है कि ब्याज के विकल्पों/प्रकारों में तथा इसकी बारंबारता में किसी परिवर्तन की अनुमति केवल बैंक के पूर्ण विवेक पर होगी, जिसकी शर्तें समय-समय पर बैंक द्वारा तय की जाएगी. मुझे हमें ज्ञात है तथा सहमत ति जाती है कि अगर मेरे/हमारे आवेदन को रद्द किया जाता है तो मेरे/हमारे आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए जमा कराए गए कागजातों को मुझे/हमें लौटाया नहीं जाएगा.

मैं/हम सहमत हूँ कि बैंक आवश्यक समझे जाने पर इस आवेदन के बारे में संदर्भ ले सकता है तथा पूछताछ कर सकता है. मैं/हम वचन देते हैं कि मेरे/हमारे व्यवसाय/रोजगार/संयोजन में कोई बदलाव आने पर मैं/हम बैंक को इस बारे से सूचित करूंगा/करेंगे तथा बैंक द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी उपलब्ध कराएंगे. बैंक इस फॉर्म तथा बैंक को जमा किए गए अन्य कागजातों में मौजूद लोन से संबंधित जानकारी को किसी संस्था या बॉडी को उपलब्ध करा सकता है. बैंक इस आवेदन पर विचार करने के लिए किसी स्रोत/व्यक्ति से जानकारी मांग/प्राप्त कर सकता है. मैं/हम पुनः सहमत हूँ कि मेरी/हमारी लोन एप्लिकेशन, समय-समय पर प्रभावी बैंक के नियमों से शासित होगी. मैं/हम सहमत हूँ कि बैंक को देय या शुरू में प्राप्त किए गए प्रोसेसिंग फीस को किसी भी रूप में लौटाया नहीं जाएगा, भले ही बैंक द्वारा किसी भी आधार पर लोन हेतु मेरे/हमारे आवेदन को रद्द किया जाता है या बैंक द्वारा इसे मंजूर किया जाता है. मैं/हम इसे अंततः स्वीकार करूंगा/करेंगे.

मैं/हम वचन देते हैं कि प्रसुविधा का इस्तेमाल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए प्रसुविधा को प्रदान करते समय बैंक द्वारा इसे मंजूर किया गया है इसे मेरे/हमारे द्वारा घोषित किया गया है तथा यह यह स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार से निवेश या किसी सट्टेबाजी, गैर-कानूनी कार्य या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है. मैं/हम यह जानता हूँ/जानते हैं कि यह अपेक्षा आरबीआई विनियम के अनुसार है. मैं/हम यह जानते हैं कि अगर बाद में किसी समय बैंक की जानकारी में यह आता है कि मुझे/हमें प्रदान की गई इस प्रसुविधा का इस्तेमाल उससे भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था तो बैंक के पास किसी भी समय इस प्रसुविधा को वापस लेने का अधिकार होगा.

मैं/हम अवगत हूँ/हैं कि मौजूदा कस्टमर द्वारा बैंक के किसी अन्य प्रोडक्ट (जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन आदि) को चुनते समय दिए गए किसी नए फ़ोन नंबर,मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी को बैंक के रिकॉर्ड में अपने आप अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि अकाउंट खोलते समय दिए गए या बैंक के साथ पहले से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी का स्थान ले लेगा. बैंक द्वारा बैंक अकाउंट से संबंधित सभी आगामी जानकारीयां/सूचनाएं केवल नए फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी पर ही भेजी जाएगी तथा कोई जानकारी/सूचना अकाउंट खोलते समय दिए गए या बैंक के साथ पहले से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी पर नहीं भेजी जाएगी.

मैं बैंक, इनकी ग्रुप कंपनियों तथा उनके एजेन्ट्स को मेरे बारे में और मेरे लोन चुकाने के इतिहास के बारे में सभी जानकारीयों को बैंकों, फ़ायनांशियल इंस्टिट्यूशन्स, क्रेडिट ब्यूरोज़, वैधानिक बॉडीज़ आदि के साथ उनके द्वारा उपयुक्त समझे गए अनुसार साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ.

मैंने/हमने आवेदित लोन की एमआईटीसी (अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों तथा शर्तों) को पढ़ व समझ लिया है तथा पुष्टि करते हैं कि मुझे/हमें एमआईटीसी शीट मिल गई है जिसमें कथित लोन/प्रसुविधा पर लागू होने वाले चार्ज/फीस/लेवीज़ आदि का विवरण दिया गया है.

हमें जानकारी है कि मेरा/हमारा लोन अकाउंट/प्रसुविधा बैंक की विभिन्न पॉलिसियों तथा समय-समय पर आरबीआई के निर्देशों से संशोधित होने वाली अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से शासित है तथा इसे बैंक के कस्टमर कॉर्नर के ज़रिए बैंक की वेबसाइट अर्थात www.kotak.com के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है.

मैं, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज़ (एमएसएमई) के रूप में रजिस्टर्ड हूँ. मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(यूआरसी) नंबर _____ है. मैं एतद्वारा अवगत हूँ कि लोन के वितरण से पहले मुझे अपने एमएसएमई स्थिति की पुष्टि करनी तथा यूआरसी कागजात जमा कराना होगा. अगर मैं ऐसा करने से असमर्थ रहता हूँ तो बैंक द्वारा मेरे आवेदन को नॉन-एमएसएमई माना जाएगा.

नाम: _____

स्थान: _____ दिनांक: _____

व्यक्तिगत व्यक्तिगत से भिन्न प्राथमिक उधारकर्ता

नाम: _____

स्थान: _____ दिनांक: _____

व्यक्तिगत व्यक्तिगत से भिन्न सह-उधारकर्ता 1 गारंटर 1

नाम: _____

स्थान: _____ दिनांक: _____

व्यक्तिगत व्यक्तिगत से भिन्न सह-उधारकर्ता 2 गारंटर 2

नोट : कृपया सुनिश्चित कर लें कि हमारे सेल्स प्रतिनिधि द्वारा आपको विधिवत भरी गई परफोरेटेड पावती की कॉपी दी गई है.

केवल ऑफिस के इस्तेमाल के लिए:
डीएमए/ओपन मार्केट विवरण:

<input type="checkbox"/> डीएसए	<input type="checkbox"/> ओपन एमकेटी डीएसटी या आरएम डायरेक्ट	<input type="checkbox"/> (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं)
नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>
आरएम नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>
डीएसटी/बीडीओ/एफओएस का नाम:	<input type="text"/>	आरएम <input type="text"/>
एलजी/एलजी कोड:	<input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>
	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>

क्रॉस सेल डेटा का विवरण

कृपया अपने विकल्प पर निशान लगाएं

<input type="checkbox"/> सिक्क्योरिटीज़	<input type="checkbox"/> संपदा	<input type="checkbox"/> कोटक	<input type="checkbox"/> आरएल सेल
<input type="checkbox"/> बैंक शाखा	<input type="checkbox"/> कॉर्प सेल	<input type="checkbox"/> कॉर्पोरेट लायबिलिटी ग्रुप	<input type="checkbox"/> एसएमई
<input type="checkbox"/> कस्टमर केयर	<input type="checkbox"/> प्रिवी	<input type="checkbox"/> सीसीसी	<input type="checkbox"/> वेबसाइट
नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>
नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>
नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>
नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>
नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>
नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>
एलजी/एलजी कोड	<input type="text"/>	शाखा कोड <input type="text"/>	

डिजिटल विवरण

<input type="checkbox"/> डेटा लोड कैम्पेन	<input type="checkbox"/> ऑनलाइन एग्जिगेटर	<input type="checkbox"/> डिजिटल चैनल
आरएम का नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>
एलजी/एलसी कोड	<input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>

रेफरल का विवरण

<input type="checkbox"/> एचएफ एएम	<input type="checkbox"/> एलएपी आरएम	<input type="checkbox"/> डब्ल्यूसी आरएम	<input type="checkbox"/> बीएल आरएम
रेफरल आरएम का नाम:	<input type="text"/>	सीआरएन <input type="text"/>	
एलजी/एलसी कोड	<input type="text"/>	ईएमपी कोड <input type="text"/>	

प्रोसेसिंग फीस का विवरण

चेक/डीडी नं.	इंस्ट्रुमेंट की तिथि: दिन/माह/वर्ष	आहरित/बैंक तथा शाखा	राशि (₹ में)
	दि दि म म व व व व		
	दि दि म म व व व व		

अत्यंत महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
हाउसिंग लोन तथा टॉप अप
पर्सनल इश्योरेन्स :-

कस्टमर्स द्वारा उधारकर्ता के जीवन का बीमा संरक्षण लिया जा सकता है जो कि बीमा राशि, पॉलिसीधारक की मृत्यु के समय लोन अकाउंट पर बकाया देनदारी पर निर्भर करेगी। यह बीमा संरक्षण लेना ऐच्छिक है।

प्रॉपर्टी इश्योरेन्स :-

बैंक द्वारा यह अपेक्षा की जा सकती है कि बैंक द्वारा फायनांस की जाने वाली प्रॉपर्टी का उधारकर्ता की ओर से अपने खर्च पर बीमा कराया जाए तथा लोन की सिक्क्योरिटी के रूप में दी जाए।

लोन चुकाना :-

सभी लोन्स को लोन की अवधि के दौरान इक्रेडेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स (ईएमआई) के रूप में चुकाया जाना है। लोन का चुकाया जाना बैंक द्वारा वितरण की निर्धारित तिथि से आरंभ होगा। ईएमआई की देय तिथियां आमतौर पर उधारकर्ता द्वारा चुनी और बैंक द्वारा स्वीकृत महीने की 1, 5 या 10 तारीख होती है।

लोन को ईसीएस या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (अगर कस्टमर का कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ बैंकिंग संबंध है) या बैंक द्वारा स्वीकार्य तरीके से चुकाया जा सकता है।

ईएमआई के शुरू होने से पहले, उधारकर्ता को प्री-ईएमआई ब्याज (पीईएमआईआई) चुकाना पड़ सकता है।

अगर बैंक ने लोन के वितरण के समय ऐसा करने को कहा हो। यह आमतौर पर आंशिक वितरणों के मामले में (जैसे कि निर्माणाधीन प्रॉपर्टीज के मामले में वितरण की अवस्थाएं) या पहली ईएमआई की सहमत देय तिथि से पहले विनिर्धारित अवधि में वितरण के मामले में लागू होगा। पीईएमआईआई की गणना वितरित राशि (या बकाया लोन राशि, जो भी कम हो) पर इंस्टॉलमेंट (ईएमआई, पीईएमआईआई) के भुगतान की आगामी देय तिथि तक बचे हुए दिनों की संख्या के लिए की जाती है।

लोन को तभी पूरी तरह से अदा किया गया माना जाएगा, जब सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया गया हो और लोन की बकाया राशि शून्य हो गई हो।

अवस्था	फीस/चार्ज का विवरण	ग्राहक	राशि				
पूर्व-वितरण	प्रोसेसिंग फीस (पीएफ)	आवेदन	बेतनभोगी : लोन की राशि का 0.5% (+ टैक्स तथा लागू अन्य वैधानिक देय राशियां) स्व-रोजगार, एचएल टॉप-अप/कमर्शियल खरीद : लोन की राशि का 0.5% (+ टैक्स तथा लागू अन्य वैधानिक देय राशियां) : शुरूआती भुगतान ₹5000 (+ टैक्स तथा अन्य वैधानिक देय राशियां) का पीएफ लॉन्गटर्म के समय से लिया जाएगा, जिसे लौटाया नहीं जाएगा। (लौटाया ना जाने वाली फीस को लोन के वितरण से पहले कुल पीएफ में एडजस्ट किया जाएगा)				
	किसी कगजात की कॉपी						
	ब्याज का सर्टिफिकेट/अकाउंट का स्टेटमेंट/लोन चुकाने का शिक्कू	प्रकरण	मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग/क्यूआरआप बैंकिंग पर लेवक सर्विस माध्यम से एक्सेस : मुफ्त कस्टमर सर्विस/शाखा के जरिए कागजी कॉपी का अनुरोध : ₹250 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	किसी कगजात की कॉपी के लिए चार्ज (डुब्लिकेट एनओसी)	प्रकरण	₹100 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	किसी कगजात की कॉपी के लिए चार्ज (मॉर्ट्गेज डॉक्यूमेंट्स, आदि की कॉपी)	प्रकरण	₹500 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	डॉक्यूमेंट्स की सूची को डुब्लिकेट जारी किया जाना	प्रकरण	₹500 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	अन्य किन्हीं कगजातों/पत्रों की हार्ड कॉपी (जैसे कि सविस्ती की मुद्रि का पत्र, क्रेडिट संबंधी राय का पत्र, ब्याज अदा किए जाने की मुद्रि का पत्र, आदि)	प्रकरण	₹500 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	चुकाने के माध्यम में बदलाव						
	चुकाने का माध्यम/अकाउंट स्वीच चार्ज	चुकाने के माध्यम को बदलना	₹500 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	कंजर्न फीस						
वितरण के पश्चात	सिच फीस (फ्लोटिंग से फ्लोटिंग)	कंजर्न पर	घर/वित्तार/सुधार के लिए कम फ्लोटिंग दर पर सिच कन्सा (बैंचमार्क में बदलाव के साथ/बिना) : कंजर्न के समय बकाया भूगुप्तन और अतिरिक्त राशि (अगर कोई हो) का 0.5%, जिसकी ऊपरी सीमा है ₹10,000 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	सिच फीस	कंजर्न पर	₹2,500 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	लोन की अवधि को फिर से शिक्कू करना	कंजर्न पर	₹500 (+ टैक्स तथा कोई अन्य लागू वैधानिक देय राशि)				
	पूर्वभुगतान चार्ज						
	पूर्वभुगतान/पूर्वसमाप्ति चार्ज	पूर्वभुगतान/पूर्वसमाप्ति चार्ज	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को गैर-बिजनेस इस्तेमाल के लिए दिए गए फ्लोटिंग दर लोन्स के लिए शून्य, माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइजेज (एमएसई)/माइक्रो स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए				
	प्रकार	स्रोत	लोन की राशि (एसओएच)	दर	वास्तविक इस्तेमाल	एफसी लागू	एफसी चार्ज
	व्यक्तिगत	अपना फंड/बैलेन्स ट्रांसफर	कोई लोन राशि	फिक्स्ड	बिजनेस/निजी	हां	लोन के पूर्व भुगतान के समय पूर्व-भुगतान राशि पर मूल परिसंपत्तियों के समय से बर्बा हुई अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष का 1% लिया जाएगा
	एमएसई	अपना फंड/बैलेन्स ट्रांसफर	कोई लोन राशि	फ्लोटिंग	बिजनेस/निजी	नहीं	
	एमएसई	अपना फंड/बैलेन्स ट्रांसफर	<= 50 लाख	फिक्स्ड	बिजनेस/निजी	नहीं	
	एमएसई	अपना फंड/बैलेन्स ट्रांसफर	> 50 लाख	फिक्स्ड	बिजनेस/निजी	हां	2%
मध्यम	अपना फंड/बैलेन्स ट्रांसफर	कोई लोन राशि	फिक्स्ड या फ्लोटिंग	बिजनेस	हां	2%	
मध्यम	अपना फंड	कोई लोन राशि	फ्लोटिंग	निजी	नहीं		
मध्यम	अपना फंड	कोई लोन राशि	फिक्स्ड	बिजनेस/निजी	हां	2%	
मध्यम	बैलेन्स ट्रांसफर	कोई लोन राशि	फ्लोटिंग	निजी	हां	2%	
<ul style="list-style-type: none"> एफसीसी के लिए एफओआर सीओडी कंट्रोल ओ/एस सीमा पर विचार किया जाना है एफसीसी के लिए एफओआर टॉप कंट्रोल ओ/एस सीमा पर विचार किया जाना है यह कम से कम ₹25,000 तथा अधिक से अधिक बकाया लोन राशि के 25% के आधिक्य भुगतान पर भी लागू है जिसका भुगतान प्रत्येक 6 महीनों में बिना किसी पूर्व भुगतान चार्ज के किया जा सकता है। अन्य (बिजनेस वास्तविक इस्तेमाल के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ता तथा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से भिन्न) : पूर्व समाप्ति लोन राशि + पिछले 12 महीनों के दौरान पूर्व भुगतान की गई राशियों का 2% (+ टैक्स तथा अन्य लागू वैधानिक देय राशियां) उधारकर्ता को बैंक को अपने स्रोतों से फंड्स का कोई उपयुक्त प्रमाण देना होगा। एचएल पर टॉप अप लोन्स के लिए कोई एफसीसी नहीं। 							
<p>अन्य (बिजनेस वास्तविक इस्तेमाल के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ता तथा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से भिन्न) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ईएमआई के शुरू होने के बाद 6 महीनों की लॉक-इन-अवधि तक किसी पूर्व भुगतान/पूर्व समाप्ति की अनुमति नहीं है। लॉक-इन-अवधि के बाद, प्रत्येक 6 महीनों में कम से कम ₹25,000 तथा ज्यादा से ज्यादा बकाया लोन राशि के 25% तक का कोई आधिक्य पूर्व भुगतान बिना किसी पूर्व भुगतान चार्ज के किया जा सकता है। किन्हीं दो पूर्व भुगतानों के बीच की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। बकाया लोन राशि के 25% से अधिक के किसी आधिक्य पूर्व भुगतान के लिए : आधिक्य पूर्व भुगतान राशि का 2% (+ टैक्स तथा अन्य लागू वैधानिक देय राशियां) लॉक-इन-अवधि के बाद किसी समय पूरे पूर्व भुगतान के लिए : पूर्व समाप्ति लोन राशि + पिछले 12 महीनों के दौरान पूर्व भुगतान की गई राशियों का 2% (+ टैक्स तथा अन्य लागू वैधानिक देय राशियां) एचएल पर टॉप-अप लोन्स के लिए कोई एफसीसी नहीं। 							